निविदा सूचना

माननीय जनपद न्यायाधीश, कानपुर देहात के आदेशानुसार सर्वसाधारण का सूचित किया जाता है कि न्यायिक अधिकारी आवासीय परिसर स्थित 120 अमरूद के वृक्षों की फसल को ठेके पर उठाये जाने हेतु प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु दिनांक **08.07.2024 को समय 4.30 बजे** निविदा सील बन्द लिफाफे में नजारत अनुभाग कक्ष में ज़मा किए जायेंगे।

निविदा की शर्त व नियम

1. उपरोक्त 120 पेड़ फलदार अमरूद की निविदा स्वीकृत होने की दशा में आधी धनराशि एक सप्ताह के अंदर तथा शेष आधी धनराशि आगामी सप्ताह के अंदर नजानत अनुभाग में कैशियर के पास जमा करनी होगी।

2. प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति को कभी किसी न्यायालय ने दण्डित न किया हो।

3. उपरोक्त बाग का निरीक्षण केन्द्रीय नाजिर को पूर्व सूचना के उपरांत किया जा सकता है।

4. स्वीकृति के उपरांत भागीदार जिसकी बोली नीलामी हेतु स्वीकृत होगी, के द्वारा स्वीकृत नीलामी की सम्पूर्ण धनराशि उपरोक्तानुसार जमा नहीं करने पर उसकी जमानत राशि राज्य सरकार के पक्ष में स्वतः जब्त समझी जाएगी।

5. नीलामी की अन्तिम स्वीकृति माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के द्वारा की जाएगी।

6. नीलामी बिना कोई कारण बताये स्थगित या अस्वीकृत भी की जा सकती है।

7. उपरोक्त 120 पेड़ फलदार अमरूद की फसल के उपयोग की अवधि दिनांक 31.03.2025 को स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा उसके तुरन्त बाद सम्बन्धित अध्यासी द्वारा अध्यासन केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय कानपुर देहात को हस्तगत किया जायेगा।

सूचना आज दिनांक 21.06.2024 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी।

(सुरेश) 21/06/24

अध्यक्ष नीलामी समिति/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं03
कानपुर देहात